



दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



No: SECR-R0PERS(PnM)/156/2022/78692

Date 26-06-2025

अधिसूचना संख्या : 56/2025

Notification No 56/2025

विषय: रायपुर मंडल/एसईसीआर के इलेक्ट्रिकल (ओपी) विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल-7 में मुख्य लोको इंस्पेक्टर (इलेक्ट्रिक) के पद को भरने के लिए पैनल का गठन Formation of panel for filling up the post of Chief Loco Inspector (Electric) in Pay Matrix Level-7 in Electrical (OP) department of Raipur Division/SECR.

रायपुर मंडल के विद्युत (ओपी) / विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल-7 में चीफ लोको इंस्पेक्टर (इलेक्ट्रिक) के 16 रिक्तियों (अनारक्षित-10, एससी-05 और एसटी-01) को भरने के लिए पात्र कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए चयन प्रक्रिया आयोजित करने का प्रस्ताव है। It is proposed to conduct a selection to the post of Chief Loco Inspector (Electric) in Pay Matrix Level-7 for filling up 16 vacancies (UR-10, SC-05 & ST-01) in Electrical (OP) Department of Raipur Division duly inviting applications from the eligible employees.

मंडल के रिक्तियों का विवरण Break-up of Vacancies :

अनारक्षित / UR	अनुसूचित जाति/ SC	अनुचित जनजाति /ST	कुल रिक्तियाँ /Total
10	05	01	16

आरबीई संख्या 108/2019 (पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 184/2019) और आरबीई संख्या 80/2021 (पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 209/2021) के अनुसार, मुख्य लोको निरीक्षक के पद को भरने की योजना को संशोधित किया गया है और तदनुसार अधिसूचना निम्नानुसार जारी की जाती है As per RBE no. 108/2019 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 184/2019) & RBE No. 80/2021(PCPO/BSP's Estt Rule No. 209/2021), the scheme for filling up the post of Chief Loco Inspector has been modified and accordingly the notification is issued as under:

1. कर्मचारियों की पात्रता और सेवा शर्तें/ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

- लोको-पायलट (मेल और एक्सप्रेस), लोको-पायलट (पैसेंजर) और लोको-पायलट (गूड्स) के रूप में काम करने वाले कर्मचारी जिन्होंने लोको पायलट के रूप में 5,00,000 किलोमीटर की वास्तविक फुटप्लेट ड्यूटी पूरी की है (वास्तविक फुटप्लेट ड्यूटी बोर्ड के पत्र संख्या ई (पी एंड ए) II/2007/आरएस/14, दिनांक 12.02.2015 में परिभाषित की गई है) (या) बोर्ड द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड के पत्र दिनांक 23.07.2004 (आरबीई संख्या 162/200, पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 147/2014) के अनुसार कार्यकाल की अवधि के लिए सीसी/पीआरसी/टीएलसी के रूप में प्रदान की गई ड्यूटी सहित लोको पायलट के रूप में 10 साल की सेवा पूरी की है, जो भी पहले हो। Employees working as Loco-Pilot (Mail & Express), Loco-Pilot(Passenger) and Loco-Pilot(Goods) who have completed 5,00,000 kilometres of actual foot plate duties (actual footplate duties have been defined in Board's Lt. No. E(P&A)II/2007/RS/14, dt. 12.02.2015) as Loco Pilots (OR) completed 10 years of service as Loco Pilots including duties rendered as CC/PRC/TLC for the period of tenure in accordance with extant guidelines issued by the Board vide Board's letter dated.23.07.2004 (RBE No.162/2004, PCPO/BSP's Estt Rule No.260/2004) whichever is earlier.
- वर्तमान में सीसी/पीआरसी/टीएलसी के रूप में कार्यरत ड्राफ्टेड लोको पायलट भी चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। Drafted Loco Pilots working as CC/ PRC/TLC on date can also apply for the selection provided they fulfill the above eligibility criteria.

- c. विद्युत ट्रेक्शन में कार्यरत कर्मचारी या सामान्य वरिष्ठता (विद्युत/डीज़ल) में सम्मिलित वे कर्मचारी, जिन्होंने दिनांक 02.06.2006 या उसके पश्चात इस मंडल में नियुक्ति/कार्यग्रहण किया हो, आवेदन के लिए पात्र हैं। **Staff working in Electrical traction or Staff borne in common seniority (Elect/Diesel) i.e. those appointed/ joined in this division on or after 02-06-2006 are eligible to apply.**
- d. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(पी एंड ए)/II/2007/आरएस/14, दिनांक 12.02.2015 (पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 25/2015) द्वारा स्पष्ट किया गया वास्तविक फुटप्लेट अनुभव, न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर, प्रोत्साहन/घाट सेक्शन किलोमीटर और शंटिंग किलोमीटर को छोड़कर वास्तविक फुटप्लेट कर्तव्यों के निष्पादन द्वारा प्राप्त अनुभव है। The actual footplate experience as clarified by Rly. Board's Lr.No. E(P&A)II/2007/RS/14, dt. 12.02.2015 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 25/2015), is the experience gained by performing actual footplate duties excluding minimum guaranteed kilometers, incentive/ghat sections kilometers and shunting kilometers.
- e. मुख्य लोको इंस्पेक्टर के पद पर चयन के लिए चिकित्सा मानक ए-3 के मौजूदा चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। The medical standard for selection to the post of CLIs should conform to the existing medical standards of A-3. (Aye-Three).
- f. ए-3 के चिकित्सा मानकों तक चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत लोको-पायलट, जिनके पास उपरोक्त पैरा के अनुसार ड्राइविंग का अनुभव हो, वे भी बोर्ड के पत्र संख्या ई(पी एंड ए)/II/2006/आरएस-21, दिनांक 3 जनवरी, 2007 (पीसीपीओ/बीएसपी स्थापना नियम संख्या 17/2007 & 209/2021) के अनुसार चयन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। Medically de-categorised Loco-Pilots upto the medical standards of A-3 and also possessing the driving experience as per para above would also be eligible to apply for the selection in terms of Board's Lr. No.E(P&A)/II/ 2006/RS-21, dt.03.01.2007 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 17/2007 & 209/2021).
- g. अधिसूचना जारी होने की तिथि अर्थात् **26-06-2025** तक उम्मीदवार को पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए। (पीसीपीओ/बीएसपी की स्थापना नियम संख्या 190/2006)। The candidate should possess the eligibility criteria on the date of issue on notification i.e. **26-06-2025**. (PCPO/BSP's Estt Rule No. 190/2006).

2. चयन / SELECTION:

आरबीई 137/2003 (पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 144/2003) के अनुसार, उम्मीदवार की व्यावसायिक योग्यता का आकलन करने के लिए चयन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल लिखित परीक्षा शामिल होगी। आगे की चयन प्रक्रिया अर्थात् सेवा रिकॉर्ड का अवलोकन, के लिए विचार किए जाने हेतु उम्मीदवार को व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। मुख्य लोको निरीक्षक का पद "सुरक्षा श्रेणी का पद" होने के कारण आरक्षित समुदाय के कर्मचारियों को योग्यता अंकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

In terms RBE 137/2003 (PCPO/BSP's Estt Rule No.144/2003), the written exam will be conducted to assess the professional ability of the candidate. The candidate has to obtain minimum 60% of marks in the Professional ability' for being considered for further selection process i.e. screening of record of service, APARs etc. The post of Chief Loco Inspector being a "Safety category post" there is no relaxation in qualifying marks to reserved community employees.

चयन हेतु अंकों का विभाजन/ Break up of Marks for the Selection :-

	शीर्षक /घटक Factor/ Heading	पूर्णांकों Maximum Marks	योग्यता अंक Qualifying marks
(1)	व्यावसायिक योग्यता / Professional ability	50	30
(2)	सेवा का रिकॉर्ड/ Record of service	30	-
	कुल / Total	80	48

कम्प्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा 100 अंकों की आयोजित की जाएगी जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को 50 पूर्णांकों में परिवर्तित किया जाएगा तथा सेवा रिकॉर्ड के प्राप्तांकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा इस प्रकार यह चयन कुल 80 पूर्णांकों के आधार पर होगा। पैनल में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे। The CBT will be conducted for 100 marks. The marks obtained by the candidate in CBT will be converted into 50 maximum marks and by adding the marks of record of service, a panel will be prepared on the basis of merit. In this way, the selection will be based on a total marks of 80. A candidate has to obtain 60% marks in aggregate for being placed on the panel.

3. लिखित परीक्षा / WRITTEN EXAMINATION:

पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 359/2018 के अंतर्गत प्रसारित रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)1/2018/पीएम 1/4, दिनांक 14.12.2018 के अनुसार, लिखित परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय/ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें 110 प्रश्न (राजभाषा नियम पर 10 प्रश्न सहित) होंगे, जो पाठ्यक्रम (अनुलग्नक-बी) में उल्लिखित विषयों को कवर करेंगे, प्रश्न पत्र में राजभाषा नीति पर प्रश्न शामिल करना अनिवार्य है लेकिन उम्मीदवार ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीदवार को किसी भी 100 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी। In terms of Rly. Brd.s letter No.E(NG)1/2018/PM 1/4, dt.14.12.2018, circulated under PCPO/BSP's Estt Rule No. No.359/2018, the written examination will be Computer Based Test (CBT) with 100% objective type questions with multiple choice. There will be 110 questions (including 10 questions on official language Rule) covering the topics mentioned in the syllabus (Annexure-B). Inclusion of questions on official language policy is compulsory but there shall be no compulsion on the part of candidates to answer such question, candidates are required to answer any 100 questions. The duration of examination under objective type multiple choice will be 2 hours (120 minutes).

कर्मचारी ध्यान दें कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा क्योंकि पैनल योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी) 1 / 2018 / पीएम 1/4 दिनांक 14.11.2019 (आरबीई संख्या 194/2019) के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से एक तिहाई (1/3) अंक गलत उत्तरों के लिए काटे जाएंगे, जो पीसीपीओ / बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 315/2019 के तहत प्रसारित किया गया है। Employees should note that there shall be negative marking for each incorrect answer, as the panel will be drawn on merit. One-third (1/3) of the marks allotted for each question will be deducted for wrong answers in terms of Rly. Brd's letter No.E(NG)I/2018/PM 1/4 dt.14.11.2019 (RBE No.194/2019) circulated under PCPO/BSP's Estt Rule No. 315/2019.

4. पैनल बनाने की प्रक्रिया/ PROCEDURE FOR DRAWING THE PANEL:

एम. रामजयराम बनाम महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.03.1996 के आदेश के अनुसरण में जारी निर्देशों के अनुसार मुख्य लोको निरीक्षक के पद पर चयन सामान्य चयन है। सामान्य चयन पद पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 167/2009 के अंतर्गत प्रसारित बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)1-2008/पीएम7/4, दिनांक 19.06.2009 (आरबीई संख्या 113/2009) का पालन मुख्य लोको इंस्पेक्टर पद के लिए चयन के मामले में भी किया जाएगा। (आरबीई संख्या 80/2021), पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 209/2021 के अंतर्गत प्रसारित

The selection to the post of Chief Loco Inspector is general selection, as per the instructions issued in pursuance to Hon'ble Supreme Court's order dt.15.03.1996 in the matter of M.Ramjayram Vs. General Manager, South Central Railway & Ors. Vide Board's Letter No. E(NG)I-2008/PM7/4, dt.19.06.2009 (RBE No.113/2009) , circulated under PCPO/BSP's Estt Rule No. No.167/2009. Selection procedure for promotion to General selection post will be followed in the case of selection for CLIs post as well as per RBE No.80/2021

(i) "पेशेवर योग्यता" के अंतर्गत मूल्यांकन चयन के भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। चूंकि, मुख्य लोको निरीक्षक सुरक्षा श्रेणी का पद है, इसलिए एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए योग्यता अंकों में कोई छूट नहीं होगी। The assessment under "Professional Ability" will be based on the marks secured by the candidate in the written examination held as part of Selection. Since, Chief Loco Inspector being a safety category post, there will be no relaxation in qualifying marks for SC/ST employees.

(ii) "सेवा रिकॉर्ड" का मूल्यांकन सेवा रजिस्टर/व्यक्तिगत रिकॉर्ड, पुरस्कार और दंड में उपलब्ध प्रविष्टियों के अनुसार और पिछले तीन (03) वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 के दौरान ए.पी.ए.आर में रिपोर्ट की गई ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा। The "Record of Service" will be assessed as per the entries available in the Service Register/Personal records, awards and punishments and based on the grading reported in the APARS during the last three (03) years i.e.2022-23, 2023-24 & 2024-25

(iv) जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन वे केवल ए-3 चिकित्सा वर्गीकरण में फिट नहीं हैं, उन्हें चिकित्सा जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। यदि वे ए-3 चिकित्सा वर्गीकरण में फिट पाए जाते हैं, तो उनके मामलों पर चयन के अगले चरण यानी सेवा रिकॉर्ड की जांच के लिए विचार किया जाएगा। The candidates who qualifies in the written examination, but not fit in Aye-Three (A-3) medical category will be directed for medical examination. If they are found fit in Aye-Three (A-3) medical category, their cases will be considered for further stage of selection i.e, scrutiny of service records.

5. वेतन निर्धारण / PAY FIXATION

वेतन निर्धारित करते समय 30% अतिरिक्त पे एलिमेंट (pay element) का लाभ प्रदान किया जाएगा और आरबीई संख्या 108/2019 (पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 184/2019) के अनुसार अगले उच्चतर चरण में वेतन निर्धारित किया जाएगा। The benefit of 30% pay element for purpose of pay fixation will be provided and the pay will be fixed in the next higher stage as per RBE no. 108/2019 (PCPO/BSP's Estt Rule No. 184/2019)

6. चयन पूर्व प्रशिक्षण / PRE-SELECTION COACHING:

- प्रशिक्षण की अवधि समान रूप से 3 सप्ताह निर्धारित की गई है The period of training is fixed uniformly for 3 weeks.
- यह प्रशिक्षण सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए उनकी इच्छा/अनिच्छा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। The training is mandatory for all SC/ST candidates. There is no need to obtain their willingness/unwillingness for such training.
- चयन में विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को बिना चूके पूर्णकालिक आधार पर ऐसे प्रशिक्षण के लिए भारमुक्त किया जाए। The eligible SC/ST candidates coming under zone of consideration in the selection will be spared for such training on full time basis without fail.
- प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की उपस्थिति सूची उपरोक्त की पुष्टि के लिए कार्मिक शाखा को भेजी जाए। The attendance sheet of SC/ST candidates in the training should be sent to Personnel Branch for confirmation of above.

(Authority: PCPO/BSP' Lt. No.P-HQ/RUL/105/2/1251 dated 23-05-16)

7. पाठ्यक्रम/ SYLLABUS:

संभावित पाठ्यक्रम बाद में प्रसारित किया जाएगा। The tentative syllabus will be circulated later

8. पूरक परीक्षा / SUPPLEMENTARY EXAMINATION

सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए कोई पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। No supplementary examination/Test will be conducted for the candidates who remains absent in the CBT.

9. कर्मचारियों को सूचित करना/ NOTIFYING TO THE STAFF

विद्युत (ओपी) विभाग के पात्र कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। अधिसूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। सभी संबंधित पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए Wide publicity should be given amongst eligible staff of Electrical (OP) department. The copy of notification should be displayed on notice board at conspicuous place. All the supervisors concerned should ensure the same.

प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/बीमार पर रहने वाले कर्मचारियों को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें। संबंधित वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/बीमार पर रहने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट पावती के साथ अधिसूचना से अवगत कराएँ और इसे बिना चूके इस कार्यालय को भेज दें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। Staff who are on deputation/leave/sick should also be notified to enable them to submit their applications through proper channel in time. It is the responsibility of senior Subordinate/Supervisor concerned to bring the notification to the notice of staff on deputation/leave/sick under clear acknowledgement and should be forwarded to this office without fail. Any laxity in this regard will be viewed seriously.

10. आवेदन कैसे करें /How to apply:

- a. कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनुलग्नक-‘ए’ में संलग्न करके प्रस्तुत करना चाहिए। The employees should submit the application in the prescribed format through proper channel enclosed as Annexure- ‘A’
- b. उन्हें आवेदन पत्र स्वयं लिखकर नीले या काले बॉल प्वाइंट पेन से भरना होगा। They should fill up the application form in their own writing with blue or black ball point pen only.
- c. कृपया ध्यान दें कि आवेदन में सभी प्रासंगिक कॉलम पूरी तरह से भरे जाने चाहिए और अनुपयुक्त कॉलमों को काट देना चाहिए तथा उन्हें “एनए” के रूप में इंगित करना चाहिए तथा जहां भी आवेदन में निर्दिष्ट किया गया है, वहां नियंत्रक पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित करके भेजना चाहिए अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। It may be noted that all the relevant columns in the application should be filled completely & strike out the inapplicable columns indicating as “NA” and forward duly verified & certified by the controlling supervisors/officers wherever specified in the application or otherwise same will not be considered.

11. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि/LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

नियंत्रण अधिकारी को सभी आवेदनों को एक साथ इस कार्यालय में **07-07-2025** तक या उससे पहले DAR/SPE/Vig मंजूरी के साथ भेजना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताए तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। The controlling officer has to forward all the applications in one bunch to this office together with DAR/SPE/Vig clearance on or before **07-07-2025** . Applications received after the last date will summarily be rejected without assigning any reason.

12. GENERAL CONDITION:

- a. पद के लिए आवेदन करने से पहले कर्मचारी को निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और आवेदन जमा करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है। Before applying for the post, the employee should carefully read the instructions and ensure that he/she fulfills all eligibility conditions at the time of submission of applications.
- b. पैनल में शामिल उम्मीदवारों को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार इलेक्ट्रिकल (ओपी) विभाग में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। Empanelled candidates are liable to be posted anywhere in Electrical (OP) department according to availability of vacancy.
- c. केवल लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने से उम्मीदवारों को पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं मिलता Mere calling for written examination does not confer any right of promotion to the candidates
- d. सभी स्तरों पर कर्मचारी का प्रवेश निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन पूर्णतः अनंतिम होगा। Admission of the employee at all stage will be purely provisional subject to satisfying the prescribed conditions.
- e. सेवा अभिलेखों से कर्मचारियों के विवरण की पुष्टि करने में उचित सावधानी बरती जाएगी। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी आवेदन में आरोप पत्र/पुरस्कार सहित अपने स्वयं के सेवा विवरण प्रस्तुत करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार है, और आवेदन में सेवा विवरण प्रस्तुत न करने के लिए भी समान रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार है। Due care will be taken in verifying the details of candidate from service records. However, each candidate is also equally liable & responsible to furnish his own service particulars including charge sheet/awards in the applications, and, also equally liable & responsible for non furnishing of service particulars in the application.
- f. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुरस्कार प्रमाणपत्रों की एक प्रति (पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25,) जमा करें और परिणाम के प्रकाशन से पहले अपने ई-एसआर और भौतिक एसआर में प्रविष्टियां करें। परिणाम के प्रकाशन के बाद पुरस्कार प्रमाणपत्र को शामिल करने के उम्मीदवारों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। Candidates are advised to submit a copy of award certificates (during last 3 years i.e. 2022-23, 2023-24 & 2024-25) and make entries in his e- SR and physical SR before publication of result. After publication of result the request of the candidates for inclusion of certificate of awards will not be considered.

13. सामान्य अनुदेश /GENERAL INFORMATION:

- a. उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि पर उचित पहचान पत्र के साथ उपस्थित हों। To attend the above exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.
- b. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए देखा गया तो उसे परीक्षा हॉल से बाहर करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। If use any unfair means is noticed from the candidate, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.
- c. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो बिना किसी सूचना के चयन के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। If any discrepancy is found at any stage with regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information.
- d. अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। In case of any discrepancy between English and Hindi versions of the notification, the English version will be treated as final.
- e. किसी भी विवाद की स्थिति में, प्रशासन कोई भी निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा। In case of any dispute, the administration will be the final authority to take any decision.

Digitally Signed by
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
Indrajeet Kumar Sinha
Date: 26-06-2025 16:23:53
Reason: Approved

Copt to : Sr DEE/OP/R, AEE/OP/BIA, All unit incharges, DC-SECRMC/R,DS-
AISCSTREA/R, DSSECROBCEA/R

APPLICATION FOR SELECTION TO THE POST OF CHIEF LOCO INSPECTOR (ELECT) IN PAY MATRIX LEVEL-7 OF ELECTRICAL (OP) DEPARTMENT OF RAIPUR DIVISION

1. Name of the Applicant :
2. PF NO. :
3. Designation/Station :
4. Date of Birth :
5. Date of initial Appointment :
6. Community (UR/SC/ST/OBC) :
7. Date of Promotion as LPG :
8. Whether completed five lakh kilometers:
of Actual footplate experience (YES/NO) :
9. Whether completed 10 years of
actual service as LPG (YES/NO) :
10. No. of KMs of actual driving experience
earned as on 26-06-2025 :
11. DAR/SPE/Vig cases, if any :
12. Details of awards/punishments of 3 years :
(Year 2022-23, 2023-24, 2024-25)
13. HRMS ID :
14. Contact No. :
15. E-Mail address :

Declaration : I hereby declare that the above information is true to best of my knowledge and belief. In case any information is found to be false I am aware that my candidature will be terminated and I am liable to be taken under D&A Rule 1968.

Date:

Signature of the Employee:

Name:

HRMS id

Design./Stn/Unit

Forwarded to Sr DEE/OP/R for further action and the above particulars in f/o Sri.....
.....Design/Stn..... PF No..... are verified and found to be correct.

KMs of actual driving experience earned as on 26-06-2025 is

Date:

Signature of the immediate Supervisor **with stamp.**

Station:

Name

Design:

 Counter Signed and forwarded to Personnel Branch

Signature of controlling officer

Date: